

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 584]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 18 नवम्बर 2010—कार्तिक 27, शक 1932

लोक निर्माण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर, 2010

क्र. एफ-23-5-2010-सा-उन्नीस.—मध्यप्रदेश राजमार्ग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 11 सन् 2005) की धारा 3 के खण्ड (तीन) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट मार्ग को मध्यप्रदेश में मुख्य जिला मार्ग घोषित तथा वर्गीकृत करता है :—

सारणी

अनुक्रमांक	जिले का नाम	मुख्य जिला मार्ग का क्रमांक (एम.डी.आर.)	मुख्य जिला मार्ग का विवरण	लम्बाई (किलोमीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सागर	मध्यप्रदेश मुख्य जिला मार्ग 58-1	खुरई रजवास मार्ग	32.50

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जे. के. जैन, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर, 2010

क्र. एफ-23-5-2010-सा-उन्नीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अंतर्गत इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-23-6-2010-सा-उन्नीस, दिनांक 18 नवम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जे. के. जैन, उपसचिव.

Bhopal, the 18th November 2010

No.F-23 5-2010-G-XIX.—In exercise of powers conferred by clause (iii) of the Section 3 of the Madhya Pradesh Rajmarg Adhiniyam, 2004 (No. 11 of 2005), the State Government, hereby, declare and classify the road specified in the table below to be the Major District Road in Madhya Pradesh.

TABLE

S. No.	Name of District	No. of Major District Road (M.D.R.)	Details of Major District Road	Length (in Km.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sagar	M.P.M.D.R. 58-1	Khurai-Rajwas Road	32.50

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
J. K. JAIN, Dy. Secy.